



क्र. २६९

/स्था./रा.मा.तो.वि.वि./2024

ग्वालियर, दिनांक-04/04/2024

/कार्यालयीन आदेश/

रैगिंग एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है जो शब्दों या लिखित में किया जाए। जिससे किसी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करने, उसके साथ अभद्रता करने या ऐसे करने से वह शारीरिक या मानसिक रूप से कुंठा ग्रसित हो जाए और एक भय का वातावरण निर्मित हो।

रैगिंग विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए उत्पन्न की गयी एक ऐसी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा अवस्था में ही विद्यार्थी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त किया जाना आवश्यक है।


उक्त निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में गठित रैगिंग कमेटी को आगामी आदेश तक यथावत रखा जाता है।

| क. | सदस्यों के नाम |
|----|---|
| 1. | डॉ. अंजना झा, सह प्राध्यापक |
| 2. | डॉ. संजय कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक |
| 3. | डॉ. हिमांशु द्विवेदी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं सहायक प्राध्यापक |

सभी शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबन्धित है। कनिष्ठ छात्रों की "रैगिंग" में संलग्न पाए जाने पर ऐसे वरिष्ठ छात्रों को संस्था से निष्कासित किया जा सकता है। सभी विश्वविद्यालय छात्रों को चेतावनी दी जाती है, कि वे किसी भी प्रकार की रैगिंग से विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर तथा बाहर, स्वयं को दूर रखें।

विश्वविद्यालय में "रैगिंग" की कोई भी घटना होने या सूचना मिलने पर छात्र-छात्राएं एण्टी रैगिंग कमेटी से तत्काल संपर्क करें।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)


कुलसचिव

पृ. क्रमांक...../स्था./रा.मा.तो.वि.वि./2024

ग्वालियर, दिनांक /04/2024

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलपति जी, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त प्रभारी विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. संबंधित सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
4. नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

कुलसचिव

NATIONAL RAGGING PREVENTION PROGRAMME

National Anti-Ragging Helpline

24x7 Toll Free

1800-180-5522

helpline@antiragging.in | www.antiragging.in

UGC Monitoring Agency

Centre for Youth (C4Y)

antiragging@c4yindia.org | www.c4yindia.org

Contact Details of the Nodal Officers of Anti-Ragging Committee and Squad

[Anti-Ragging Committee \(ARC\)](#) | [Anti-Ragging Squad \(ARS\)](#)

**RAGGING IS A CRIMINAL OFFENCE AND THE CULPRITS WILL ATTRACT
PUNITIVE ACTION AS MENTIONED IN THE UGC**

REGULATIONS(www.antiragging.in/assets/pdf/annexure/Annexure-I.pdf)

www.ugc.ac.in